प्रेषक,

निदेशक
प्रशासन एवं विकास
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

(1) अपर निदेशक (ग्रेड-2)
पशुपालन विभाग, लखनऊ/ कानपुर/झांसी/चित्रकूट/सहारनपुर/अलीगढ़/आगरा/ फैजाबाद/देवीपाटन/ इलाहाबाद/ आजमगढ़/ बस्ती/ गोरखपुर/ मिर्जापुर /बरेली/ मुरादाबाद/वाराणसी/मेरठ।
(2) अपर निदेशक (ग्रेड-2), बी0पी0संस्थान, लखनऊ।
(3) समस्त संयुक्त निदेशक (डी0एफ0एस0),पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
(4) उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।
(5) प्रधानाचार्य, बी0के0टी0, लखनऊ।

संख्या: 6279/स्था0-1/एक-क/15/2015-16 दिनांक:- 04/11/15

विषय:- शासनादेशों को आनलाईन निर्गत करने एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने की व्यवस्थान्र्गत प्रतिदिन निर्गत होने वाले आनलाइन शासनादेशों की सूची ई-मेल पर प्राप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-306 सी0एम0/सैंतीस-2-2015 दिनांक 16 अक्टूबर 2015 के साथ संलग्न विशेष सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी के पत्र दिनांक 1.10.15 व शासनादेश दिनांक 3.08.15 (प्रति संलग्न) का अवलोनक करने का कष्ट करें।

इस संबंध में अवगत कराना है कि शासन स्तर पर जारी होने वाले शासनादेशों की जानकारी मण्डल व जनपद स्तर के अधिकारियों को समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। चूँकि आनलाइन निर्गत किये जाने वाले शासनादेश निर्गत होने की तिथि में ही ई-मेल के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है। अत: संलग्न शासनादेशों में प्रदत्त निर्देशानुसार अपने विभाग से संबंधित आनलाइन निर्गत शासनादेश, ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु अपने अधीनस्थ जनपदीय अधिकारियों (यथा-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य समकक्ष अधिकारियों), जिन्हें शासनादेशों की अद्यतन जानकारी होनी आवश्यक है, को आनलाइन शासनादेश की वेबसाइट पर

- 2 -

रजिस्ट्रेशन कराने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करते हुए, कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण में आपका व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

भवदीय

3/11/15

(पी0के0त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक (पशु प्रजनन / प्रशासन)

संख्याः 6279 / स्था0-1/एक-क/15/2015-16 दिनांकः- 04/11/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पशुधन निदेशालय के समस्त अधिकारीगण को उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रति सहित।

2- प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन के प0सं0-306/सी0एम0/सैंतीस-2-2015, दि0 16.10.15 के संदर्भ में।

3- श्री नवीन कुमार गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाइजर, प्रधान कार्यालय को संलग्नक शासनादेश की प्रति सहित।

3/11/15

(पी0के0त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक (पशु प्रजनन / प्रशासन)

Misslenious

अन्तरिम

कार्यालय
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश
सचिवालय एनेक्सी, लखनऊ

संख्या .... दिनांक ....

<u>प्रमुख सचिव, पशुधन</u>

कृपया शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत करने एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने की व्यवस्थान्तर्गत प्रतिदिन निर्गत होने वाले शासनादेशों की सूची ई–मेल से प्राप्त करने संबंधी मुख्य सचिव के शासनादेश संख्या–18/2015/1483/बीस–13–वि–2015–4(विविध)/15 दिनांक 03 अगस्त, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अपने विभाग से संबंधित ऑनलाइन निर्गत शासनादेश ई–मेल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु सभी अधीनस्थ मण्डलीय/जनपदीय तथा अन्य अधिकारियों, जिन्हें शासनादेशो की अद्यतन जानकारी होनी आवश्यक हो, को ऑनलाइन शासनादेश की बेवसाइट पर विभाग के शासनादेश की सूची प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रेशन कराने हेतु निर्देशित करने के निर्देश दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पशुधन विभाग के शासनादेश हेतु वेबसाइट पर अभी तक **24** व्यक्तियों द्वारा रजिस्टर किया गया है जिसमें विभाग के अधिकारी व अन्य व्यक्ति दोनों सम्मिलित हैं। इससे स्पष्ट है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा काफी कम संख्या मे रजिस्टर किया गया है।

कृपया इस सम्बन्ध में शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार अधिक से अधिक विभागीय अधिकारियों को विभाग से संबंधित शासनादेशों की दैनिक सूची प्राप्त करने हेतु वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

01.10.2015
(अमित गुप्ता)
विशेष सचिव मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश शासन।

CMA00215720

सी०एम०-2/2015
/2015

(चन्द्र कान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव
पशुधन एवं मत्स्य
उ० प्र० शासन।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या: 18/2015/1483/बीस-13-वि-2015-4(विविध)/15

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

3 समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13(विविध) लखनऊ, दिनांक: 03 अगस्त, 2015

विषय : शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत करने एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने की व्यवस्थान्तर्गत प्रतिदिन निर्गत होने वाले ऑनलाइन शासनादेशों की सूची ई-मेल पर प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि जन सामान्य को शासन की विभिन्न योजनाओं व नीतिगत आदेशों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने तथा शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत करने एवं इण्टरनेट पर अपलोड करने सम्बन्धी योजना दिनांक 01 मार्च, 2014 से उ. प्र. सचिवालय के सभी विभागों में लागू है। उक्त योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रतिदिन निर्गत होने वाले ऑनलाइन शासनादेशों की सूची सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, जिलाधिकारियों व मण्डलायुक्तों को उनके ई-मेल पर प्रतिदिन एनआईसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। दिनांक 04 जुलाई, 2015 से जन सामान्य को भी प्रतिदिन निर्गत होने वाले ऑनलाइन शासनादेशों की सूची उनके ई-मेल पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस हेतु इच्छुक व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन शासनादेश की वेबसाइट □□□□://□□□□□□□□□□□□.□□.□□□.□ के मुख्य पृष्ठ पर जाकर निर्धारित प्रारूप पर रजिस्ट्रेशन कराकर किसी एक विभाग अथवा समस्त विभागों में प्रतिदिन निर्गत होने वाले शासनादेशों की सूची ई-मेल पर प्राप्त की जा सकती है।

2. प्राय: यह देखा गया है कि शासन स्तर पर जारी होने वाले शासनादेशों की जानकारी मण्डल व जनपद स्तर के अधिकारियों को समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। चूँकि ऑनलाइन निर्गत किये जाने वाले शासनादेश निर्गत होने की तिथि में ही ई-मेल के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने विभाग से संबंधित ऑनलाइन निर्गत शासनादेश ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु सभी अधीनस्थ मण्डलीय/जनपदीय तथा अन्य अधिकारियों, जिन्हें शासनादेशों की अद्यतन जानकारी होनी आवश्यक हो, को ऑनलाइन शासनादेश की वेबसाइट □□□□://□□□□□□□□□□□□.□□.□□□.□ पर विभाग के शासनादेश की सूची प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रेशन कराने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।

3. शासन द्वारा निर्गत प्रत्येक नीतिगत/महत्वपूर्ण शासनादेशों की जानकारी जन सामान्य तक उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फीडबैक लेने हेतु यह भी सुविधा की गयी है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे नीतिगत/महत्वपूर्ण शासनादेश की जानकारी हो जो कि आनलाईन निर्गत न किया गया हो, की सूचना आनलाईन शासनादेश की उपरोक्त वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर दिये गये प्रारूप में अंकित कर सकते हैं। यदि किसी अधिकारी के संज्ञान में इस प्रकार का शासनादेश आता है जो ऑनलाईन जारी नहीं किया गया हो, उसकी सूचना वेबसाइट पर दिये गये प्रारूप में अंकित करने हेतु निर्देशित करने का भी कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट □□□□://□□□□□□□□□□□□.□□.□□□.□ से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-18/2015/483/बीस-13-वि-2015-4(विविध)/15, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, योजना भवन, लखनऊ।
2. श्री अजय गोपाल, तकनीकी निदेशक, एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ।
3. तकनीकी सलाहकार, सचिवालय प्रशासन विभाग।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी. के. सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट [illegible] से सत्यापित की जा सकती है ।